28.11.22. पत्रावली आज पेश हुई। दोनो पक्षों के वकील उपस्थित। ~~चूंकि~~ पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश कलम से लिखवा कर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 142/2021

प्रार्थीगण

1. कालूराम पुत्र हेमाराम के वारिसान
   1/1 मनसाराम पुत्र कालूराम
   1/2 लखमाराम पुत्र कालूराम
   1/3 नरपतराम पुत्र कालूराम
   1/4 रमेश पुत्र कालूराम
2. गजाराम पुत्र हेमाराम
3. चिमना पुत्र पदमा
4. खगारा पुत्र पदमा
5. भवाराम पुत्र भैरा
6. भूराराम पुत्र भैरा
7. सवलाराम पुत्र भेरा
8. भूपा पुत्र रूडा
9. केसा पुत्र रूडा
10. मोहन पुत्र रूडा
11. छोगा पुत्र रूडा

जाति माली निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जेठा पुत्र केवा
2. नरसिंगा पुत्र केवा
3. दुर्गा पुत्र केवा
4. चेला पुत्र केवा
5. जाला पुत्र केवा
   जातियान माली निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.11.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा बोरली पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी के मूल खसरा नम्बर 1253 का आया हुआ है जिसमें समस्त खातेदारों ने भूमि का बंटवाडा होकर बारह खसरों में विभक्त हुए, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253 रकबा 11–16 बीघा एवं खसरा नम्बर 1253/3 रकबा 30–07 बीघा की तरमीम करते वक्त राजस्व कार्मिकों द्वारा कब्जा काश्त एवं रास्ते की भूमि को ध्यान में रखे बिना ही कर दी गई है जिससे राजस्व रेकर्ड की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में विभन्नता होने से प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253 व 1253/3 की तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना तरमीद दुरूस्ती का पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया ... प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भूमि धारक

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर माफिक कब्जा–काश्त एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 14 दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्रस्तावित अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी। विप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 14 दिनांक 29.10.2021 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम बोरी के खेत खसरा नम्बर 1253 रकबा 11–16 बीघा की भूमि जेठा, नरसिंगा दुर्गा चेला जाला पि0 केवा जाति माली के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा संख्या 1253/3 रकबा 30–07 बीघा भूमि कालूराम गजाराम पि0 हेमाराम चिमना खंगारा पि0 पदमा भवाराम भूराराम सांवलाराम पि0 भैराराम भूपा केसा मोहन छोगा पि0 रूडा समदा पत्नी रूडा के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों के मध्य तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। राजस्व नक्शें में की गयी तरमीम जमाबन्दी में धारित रकबा 11–16 बीघा से कम है। जमाबन्दी में धारित रकबा एवं मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार तरमीम दुस्त करने हेतु प्रस्तावित संलग्न नक्शे अनुसार दौनों खसरों के खातेदारान तरमीम दुस्त करवाने हेतु सहमत हैं, रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में भिन्नता है, तथा खसरा नम्बर नम्बर 1253 की तरमीम जमाबन्दी अंकित रकबा 11–16 बीघा से कम है। नजरी नक्शा में शुद्ध कर प्रस्तावित तरमीम अनुसार दौनों खसरों के खातेदार तरमीम दुरूस्त कराने हेतु सहमत हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित तरमीम को प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार कर इसी इनुसार तरमीम भुाद्ध किये जाने की सहमति दी है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1253 रकबा 11–16 बीघा की तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबा से कम की गई है, तथा दौनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों ने तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित तरमीम को स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीक[illegible] गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 45 दिनांक 29.10.2021 द्वारा [illegible] के खेत खसरा नम्बर 1253 रकबा 11–16 बी[illegible] 1253/3 रकबा 30–07 बीघा की बरंग ". . . लाल" प्रस्तावित अनुसार जमाबन्दी में अंकित रकबा की सीमा तक तरमीम शुद्ध करने के आदेश [illegible] जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी